टी.आर.ओ. विभाग, नागपुर मंडल

केस स्टडी-18/2025

जारी तिथि : 12..05.2025

SPAD

घटनाक्रम: दिनांक 07.05.25 को पूर्व मध्य रेल्वे के प्रयागराज मण्डल में ट्रेन नं.: NTCD, लोको क्र. 24665/WAG-7/JHS से कार्य करते समय न्यू खुरजा (KRJN) स्टेशन (DFCCIL) का होम सिगनल S-11 एक पीला संकेत आर्म के साथ मिला, उस समय गाड़ी कीगति 18 Kmph थी। तत्पश्चात LP ने कॉमन लूप लाइन सं. 1 के स्टार्टर सिगनल S-33 को एक पीला संकेत आर्म के साथ 22 Kmph की गति से पार करके अप मेन लाइन में प्रवेश किया। कर्मीदल द्वारा मेन लाइन के इण्टरमीडिएट स्टार्टर सिगनल S-51 को "ऑन" स्थिति में समय 09:03:07 बजे 28 Kmph की गति से तथा एडवांस स्टार्टर सिगनल S-71 को समय हरा संकेत में 35 Kmph की गति से पार किया। जब स्टेशन मास्टर ने ट्रेन मैनेजर को SPAD की जानकारी दी, तब TM द्वारा ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोका गया। गाड़ी इण्टरमीडिएट स्टार्टर सिगनल S-51 को "ऑन" स्थिति में पार कर 1724 मीटर आगे एवं एडवान्स स्टार्टर सिगनल S-71 से 889 मीटर आगे जाकर समय 09:06:28 बजे खड़ी हुई।

संभावित कारण :

- कर्मीदल के कथनानुसार इण्टरमीडिएट स्टार्टर सिगनल 1 पीला मिलने का आभास हुआ व एडवान्स स्टार्टर सिगनल को हरा देखकर टिफिन खोलकर खाने में लग जाना।
- कर्मीदल द्वारा सिगनल दिखने पर सिगनल संकेत का भौतिक रूप से सत्यापन न करना व किसी अन्य कार्य में व्यस्त हो जाना।
- इंजन कर्मीदल द्वारा सिगनल कॉल आउट उचित प्रकार से न करना।

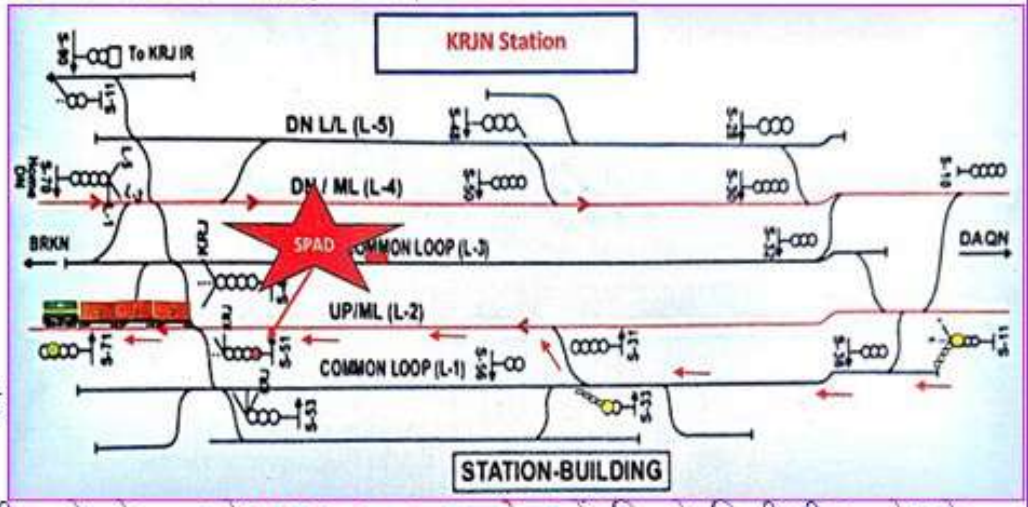

उपरोक्त घटना से सबक :-

- हेंड गेस्चर के साथ सिगनल कॉल आउट को आदत में समाहित करें।
- प्रत्येक सिगनल का कॉल आउट भौतिक रूप से सत्यापन के पश्चात् ही करें।
- ड्यूटी के दौरान हमेशा सजग व सतर्क रहें।
- 2 पीला, 1 पीला एवं ऑन अप्रोच सिगनल मिलने पर अन्य कार्य में व्यस्त न रहे।
- किसी भी संशय की स्थिति में सर्वप्रथम गाड़ी रोक कर, सुनिश्चित करने के पश्चात आगे बढें
- माइकोस्लीप से बचने के लिए गुख्यालय व आउट स्टेशन पर गुणवत्तापूर्ण विश्राम करें।
- गाड़ी संचालन के दौरान ALP, LP के कियाकलाप पर पैनी नजर रखें व संरक्षित कार्यवाही करते हुये समय से **RS Valve का प्रयोग** करें, जिससे किसी भी अवरोध से पहले गाड़ी को खड़ी करके दुर्घटना/स्पेड को टाला जा सके।
- रेलवे बोर्ड/मुख्यालय द्वारा जारी स्पेड से बचाव के 25 बिन्दुओं का अक्षरशः पालन करें।
- रोड लर्निंग सही तरीके से लें व अपनी लाइन के सिग्नलो के लोकेशन के प्रति जागरूक रहें।

नोट: केस स्टडी केवल कर्मीदल को काउन्सलिंग देने के उद्देश्य से तैयार की गई है, इसे काउन्सलिंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए मान्य नहीं होगा।

समस्त मुख्य लोको निरीक्षक उक्त घटना के संबंध में गहनता से सभी नामित/गैर नामित लोको पायलट / सहायक लोको पायलट की शतप्रतिशत कांउसलिंग सुनिश्चित करें।

(निखिल सिंह)
वरि.मं.वि.इंजि.(परि.),नागपुर